न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्याः 202 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्याः 1720 / 2026

अनुसूया बनाम अज्ञात।

प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ताः— श्री राजेश सिंह राठौर
राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारीः— श्री तुषार जोसाल

<u>**दिनांकः 09.06.2026**</u>**—**

प्रार्थी / आवेदक अनुसूया पत्नी दिनेश प्रसाद बहुगुणा, के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थीया के साथ ऑनलाईन फ्रॉड हो गया था, जिसमें प्रार्थीया के बैंक एसबीआई के बैंक अकाउण्ट नम्बर 30408574822 से मु0 27,848.56 / —रुपये का ऑनलाईन फ्रॉड हो गया था, जिसका कम्प्लेन्ट नम्बर 23208350043119 है, जिस पर साईबर सैल द्वारा उक्त रकम को होल्ड कर दिया गया है। अतः प्रार्थीया की होल्ड की गयी धनराशि के सम्बन्ध में सम्बन्धित साईबर सैल हरिद्वार से रिपोर्ट मंगायी जाकर प्रार्थीया के बैंक खाता में रिलीज करने के आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

2. आवेदक के उक्त प्रार्थना पत्र साईबर क्राईम सैल हरिद्वार से आख्या आहुत की गयी। साईबर क्राईम सैल हरिद्वार के द्वारा अपनी आख्या में यह कहा गया है कि शिकायत संख्या 23208250043119, पुलिस स्टेशन साईबर क्राईम पश्चिम बंगाल जिला बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट से ऑनलाईन शिकायत दर्ज होना पाया गया। उक्त बैंक खाते पर हरिद्वार से कोई ऑनलाईन शिकायत अंकित नहीं है। अतः शिकायत पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित राज्य के उक्त थाना से किया जाना संभव है।

3. सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

4. साईबर सैल की आख्या के अनुसार आवेदक उपरोक्त के खाता संख्या खाता संख्या 30408574822, से सम्बन्धित शिकायत संख्या 23208250043119, पुलिस स्टेशन साईबर क्राईम पश्चिम बंगाल जिला बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट से ऑनलाईन शिकायत दर्ज होना पाया गया। उक्त बैंक खाते पर हरिद्वार से कोई ऑनलाईन शिकायत दर्ज होना पाया गया तथा आवेदक के खाता संख्या पर हरिद्वार से कोई भी ऑनलाईन शिकायत अंकित नहीं है। आवेदक के खाते से सम्बन्धित उक्त शिकायत अलग राज्य से सम्बन्धित होने के कारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अतः क्षेत्राधिकारिता के अभाव में प्रार्थी / आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। आदेश NJDG पोर्टल पर अपलोड हो।

दिनांकः 09.06.2026

(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।